पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा
राज्य सम्पत्ति को क्षति पहुंचाये जाने के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा विधि अनुसार समुचित कार्यवाही की जाये- -राज्यपाल

लखनऊः 12 जून, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को 4 विक्रमादित्य मार्ग पर आवंटित आवास को खाली किये जाने से पूर्व उसमें की गई तोड़फोड़ तथा उसे क्षतिग्रस्त किये जाने का मामला मीडिया तथा जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह एक नितान्त अनुचित व गम्भीर मामला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित किये गये शासकीय आवास राज्य सम्पत्ति के कोटे में आते हैं, जिनका निर्माण व रख-रखाव सामान्य नागरिकों द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के करों से होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सम्पत्ति को क्षति पहुंचाये जाने के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा विधि अनुसार समुचित कार्यवाही की जाये।

राज्यपाल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के उपरान्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य सरकार द्वारा आवंटित आवासों को रिक्त किये जाने के प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए आज राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवासों की वीडियोग्राफी कराई गई है तथा 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी आवास में तोड़फोड़ होने की बात भी सामने आई है।

अंजुम/रा0/राजभवन (234/11)